

प्रश्न संख्या: 2(1)1

द्वारा : श्रीमती सुषमा कुठियाला, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाएंगे कि निगम परिधि के बाहर पंचायत एरिया में टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग एरिया में नगर निगम अपने पैसे से कार्य करवा सकता है ?	
ख)	यदि ऐसे कार्य करवाये गए हैं तो उन कार्यों की सूची निगम पटल पर रखी जाए।	

श्रीमती सुषमा कुठियाला, मा0 पार्षद द्वारा यह प्रश्न withdraw किया गया। . .

प्रश्न संख्या: 2(2)2

द्वारा : श्री राकेश चौहान, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाएंगे कि जैसेकि मैंने कुछ महिने पहले शिमला जल प्रबन्धन निगम लि0 द्वारा नगर निगम शिमला का पुराना कबाड़ (Scrap) बिना किसी अनुमति के बिक्रय करने का मामला मान्य सदन में उठाया था इस बारे जो जांच चल रही थी उसकी जांच रिपोर्ट का पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	शिमला जल प्रबन्धन निगम लिमिटेड द्वारा पुराने कबाड़ (Scrap) के विक्रय करने से सम्बन्धित मामले में जांच पूर्ण कर ली गई है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त शिमला जल प्रबन्धन निगम लिमिटेड के सम्बन्धित अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किए गए थे। सम्बन्धित अधिकारियों से कारण बताओं नोटिस के उत्तर प्राप्त होने पर मामला सचिव, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश सरकार को कार्यालय पत्र दिनांक 04.05.2020 द्वारा भेजा गया है।

श्री राकेश चौहान, मा0 पार्षद ने अनुपूरक प्रश्न में कहा कि उक्त मामले बारे क्या कार्यवाही की गई है? आयुक्त महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि यह मामला हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है और अब इस मामले में सरकार द्वारा कार्यवाही की जानी है।

प्रश्न संख्या: 2(3)3

द्वारा : श्रीमती सुषमा कुठियाला, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाएंगे कि नगर निगम की माननीय महापौर के वार्ड में पिछले एक वर्ष की अवधि में कितने कार्य जो कि विधायक निधि, अश्रुत मिशन, नगर निगम फण्ड, स्मार्ट सिटी या किसी भी अन्य पैसे से हुए और हो रहे हैं? इन कार्यों की पूरी जानकारी सदन पटल पर रखी जाए।	
ख)	किस-किस कार्य पर कितना-कितना पैसा खर्च किया या खर्च किया जा रहा है?	

श्रीमती सुषमा कुठियाला, मा0 पार्षद द्वारा यह प्रश्न withdraw किया गया।

प्रश्न संख्या: 2(4)4

द्वारा : श्रीमती सुषमा कुठियाला, मा0 पार्षद

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या आयुक्त महोदय बतलाएंगे कि स्मार्ट सिटी में जिम मशीनों के टैण्डर 19 मार्च 2021 को निकाले गए थे जो कि टैण्डर भरने की तारीख 5 अप्रैल 2021 थी उस टैण्डर को 31 मार्च 2021 को ही क्यों लगा दिया गया और टैण्डर प्रक्रिया जो 6 अप्रैल को पूरी होनी थी वह 31 मार्च को ही क्यों कर दी गई? पूर्ण ब्यौरा सदन पटल पर रखें।	
ख)	टैण्डर document में तीन कम्पनियों का नाम दिया गया कि सिर्फ उन्हीं के निर्मित जिम उपकरण दिये जा सकते हैं वह कम्पनियां कौन-कौन सी है?	
ग)	उन तीन कम्पनियों के मालिक या Director कौन हैं?	

श्रीमती सुषमा कुठियाला, मा0 पार्षद द्वारा यह प्रश्न withdraw किया गया।